तुम कभी लोगों की सोच को अपने प्रति नहीं बदल सकते, इसलिए अपनी जिन्दगी को मज्जे से जीयो। अज्ञात।

विचार-प्रवाह
देहरादून, बुधवार, 23 फरवरी 2022
पेज थ्री
www.page3news.in

कश्मीर का पलड़ा जम्मू की तुलना में भारी

आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने वालों का कहना है कि जब पूरे देश में परिसीमन के लिए 2021 सेंसस के आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है तो जम्मू–कश्मीर में भी उसी आधार पर सीटों की संख्या में फेरबदल किया जाना चाहिए।

राधा शर्मा।।

परिसीमन आयोग ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के लिए जो प्रस्ताव दिए हैं, उन्हें लेकर कश्मीर में असंतोष है। आयोग की इन सिफारिशों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया तो कश्मीर घाटी क्षेत्र की विधानसभा सीटों की संख्या में एक का इजाफा होगा, लेकिन जम्मू क्षेत्र में छह सीटें बढ़ जाएंगी। यानी कश्मीर में इसके बाद 47 सीटें होंगी तो जम्मू में 43 सीटें। इसके अलावा पहली बार आयोग ने 9 सीटें एसटी और सात सीटें एससी समुदायों के लिए रिजर्व करने की बात भी कही है। प्रमुख स्थानीय पार्टियों के संगठन गुपकार अलायंस ने इस रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया है। बीजेपी शुरू से जम्मू क्षेत्र के कम प्रतिनिधित्व की शिकायत करती रही है। वह परिसीमन आयोग के जम्मू क्षेत्र में छह सीटें बढ़ाने के ताजा प्रस्ताव से भी खुश नहीं है।

प्रदेश बीजेपी का कहना है कि इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद भी कश्मीर का पलड़ा जम्मू की तुलना में भारीरहेगा। 2014 में जब जम्मू–कश्मीर में आखिरी बार चुनाव हुए थे, तब बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी और ये सारी जम्मू क्षेत्र में थीं। इसीलिए आयोग के हालिया प्रस्ताव के बाद यह सवाल उठ रहा है कि कहीं यह पूरी कवायद जम्मू क्षेत्र की सीटें बढ़ाने के लिए तो नहीं की जा रही है। परिसीमन का आधार आबादी होती है और 2011 के सेंसस के मुताबिक घाटी क्षेत्र की आबादी जम्मू की तुलना में 15 लाख से भी अधिक है। उस लिहाज से भी यह प्रस्ताव तर्कसंगत नहीं लगता। कहा जा रहा है कि आयोग ने अपनी सिफारिशों का औचित्य साबित करने के लिए मतदाता सूची, भौगोलिक व संचार सुविधाएं और हर क्षेत्र की आबादी में प्लस माइनस 10 फीसदी मार्जिन जैसे कारकों को आधार बनाया है।

आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने वालों का कहना है कि जब पूरे देश में परिसीमन के लिए 2021 सेंसस के आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है तो जम्मू–कश्मीर में भी उसी आधार पर सीटों की संख्या में फेरबदल किया जाना चाहिए। विरोधियों का यह भी कहना है कि धारा 370 को खत्म किए जाने और जम्मू–कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट को अदालत में चुनौती दी गई है। इसलिए परिसीमन के बारे में किसी फैसले से पहले अदालत के निर्णय का इंतजार करना चाहिए।

यह समझना जरूरी है कि लोकतंत्र में महत्वपूर्ण फैसलों की एकमात्र कसौटी यह नहीं होती कि निर्णयकर्ता उन फैसलों को कितना सही मानता है। अक्सर बड़ा सवाल यह हो जाता है कि लोगों को वह फैसला कैसा नजर आता है। कश्मीर में हालात पहले से ही नाजुक हैं। ऐसे में कोई भी ऐसा फैसला, जिसे यहां का एक वर्ग ठीक न माने, स्थितियों को बेहतर बनाने में मददगार नहीं साबित होगा। इसलिए परिसीमन के मामले में कश्मीर और जम्मू दोनों ही क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और जनता का भरोसा हासिल करना बेहतर रहेगा।

सफलता

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। सफलता मिल गई तो वाह–वाह। यदि नहीं मिली तो भी मन को इतना संतोष तो रहेगा कि जितना हम कर सकते थे, हमने किया। यह संतोष भी एक प्रकार की सफलता ही है। अमेरिकी सिंगर स्टीव वंडर ने कहा है, 'जीवन का अर्थ केवल संघर्ष में है। जीत या हार भगवान के हाथ में है। इसलिए, चलो संघर्ष का जश्न मनाएं।' इस संघर्ष और विश्वास से हमें नई ताकत, नया विश्वास और नई ऊर्जा मिलती है। कभी–कभी इस उपलब्धि से हम स्वार्थी भी हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारा पुरुषार्थ उन दिशाओं में अग्रसर हो जहां से मिले सदग्गुणों से इंसान का मानवीय चेहरा दमकने लगे। सामने खड़ी अशिक्षा, कुपोषण और जीने की अन्य सुविधाओं के अभाव की विभीषिका समाप्त हो। जीवन के उच्चतर मूल्य हमारा लक्ष्य बनें।

संपादकीय

पुलिस स्टेट की तरफ बिहार

नीतीश कुमार अगर जीतनराम मांझी या सहोयगी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को कोई संदेश देना चाह रहे थे जो शराबबंदी कानून का खुल कर विरोध कर चुके हैं तो बात अलग है। लेकिन तथ्यों को झुठलाना किसी के वश की बात नहीं है। ये सत्य है कि शराब माफिया की तुलना में गरीबों को अंदर किया जा रहा है और मांझी यही मुद्दा उठाते रहे हैं। 16 नवंबर को शराबबंदी के रिव्यू के बाद के 40 दिनों में 10 हजार से ज्यादा लोग जेल भेज दिए गए। 48 हजार कैदियों की क्षमता वाले बिहार में 59 हजार कैदी ठूंस दिए गए हैं। नीतीश की नजर में इस बदहाली की चर्चा करना गुनाह है। अब तक शराबबंदी कानून के तहत 3.5 लाख लोगों की गिरफ्तारी दिखाकर नीतीश कुमार की सरकार कौन सी वाहवाही लूट रही है, बताना मुश्किल है। काश इससे बिहारियों की औसत आय में चवन्नी भी बढ़त हो जाती। वो भी तब जब बिहार पुलिस का पूरा महकमा शराब की बोतलें खोजने में लगा दिया गया हो। डीजीपी समेत। ये उस राज्य की कहानी है जहां प्रति एक लाख आबादी पर महज 78 पुलिस वाले हैं। राष्ट्रीय औसत 143 का है। ऐसे प्रदेश में शराबबंदी के नाम पर एक महीने में 13000 रेड होते हैं। पुलिस दुल्हन के कमरे में पहुंचती है। जयमाल के दौरान बारातियों पर टूट पड़ती है। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस पर पब्लिक का भरोसा टूट सा गया है। पुलिस और ग्रामीण आबादी के बीच भिड़ंत बढ़ गई है। नीतीश कुमार बिहार को पुलिस स्टेट की तरफ धकेल रहे हैं। पुलिस पर दबाव है और शराबबंदी कानून की आड़ में अरेस्ट का टारगेट है। इसका कोई प्रमाण नहीं है लेकिन रिकॉर्ड किसी प्रमाण का मोहताज होती नहीं।

दहेज, श्राद्ध भोज पर प्रतिबंध, शराबमुक्ति और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समाज सुधार पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल पूरे रौ में हैं।

शराब पीने में महाराष्ट्र से आगे बिहार

नवीन शाह ।।

आज बहुत लोग जो गड़बड़ हैं वो बयान देते रहते हैं कि गौर कीजिए इस कानून पर। जो बाहर से आता है उसको लेने दीजिए। ई सब संभव है जी। मत आइए। अगर दारू पीते हैं और बिहार में पीने में दिक्कत है तो मत आइए बिहार। कोई जरूरत नहीं है आपकी। दहेज, श्राद्ध भोज पर प्रतिबंध, शराबमुक्ति और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समाज सुधार पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल पूरे रौ में हैं। चौकीदार से लेकर डीजीपी तक और बीडीओ से लेकर मुख्य सचिव तक शराबबंदी को सुशासन की पहली शर्त मानकर चल रहे हैं।

नीतीश कुमार महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं और संविधान की भी। खास कर संविधान के अनुच्छेद 47 की जो नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसमें सलाह दी गई है कि सरकार पोषण और जीवनस्तर को बढ़ाने की कोशिश करे ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। साथ ही ये भी कहा गया है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पेय और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे। अब इसी तर्क पर देखें और राज्यों की सेहत पर नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट देख लीजिए।। 15 साल से बिहार की बागडोर संभाले नीतीश कुमार की उपलब्धि क्या है। बिहार 100 के इंडेक्स पर 31 अंकों के साथ नीचे से दूसरे स्थान पर हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश हमसे नीचे है। और धड़ल्ले से शराब बेच रहा केरल 82.20 अंकों के साथ टॉप पर है। इसका कतई ये मतलब नहीं कि शराब का बेहतर स्वास्थ्य से कोई संबंध है। चूंकि नीतीश कुमार ने तर्कों पर शराबबंदी को कसने की कोशिश की है तो उन्हें जवाब भी तर्कों से मिलना चाहिए।

अब जरा उसी अनुच्छेद 47 के तहत जीवनस्तर और पोषण बढ़ाने के कर्तव्य की चर्चा कर लें। इस कर्तव्य के निर्वहन में नीतीश कुमार को पूरे शून्य अंक दिए गए हैं। ये मार्किंग हमने नहीं नीति आयोग ने ही की है। नवंबर में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक से पता चला कि बिहार की आधी से ज्यादा आबादी गरीब है। गरीबी का ये पैमाना शिक्षा, पीने के पानी की उपलब्धता, सफाई, घर जैसे सूचकांकों पर निकाला गया। नीतीश कुमार उनकी पार्टी जितनी भी हायतौबा मचा ले इस रिपोर्ट से इनकार नहीं कर सकती। साथ ही सिर्फ शराब का जिक्र अनुच्छेद 47 में नहीं है नीतीश जी। जरा अपनी पुलिस से गांजा, भांग, चरस की बरामदगी का सही लेखा–जोखा ले लीजिए। पांच अप्रैल, 2016 की उस ऐतिहासिक तारीख के बाद के आंकड़े देख लीजिए जिस दिन बिहार में देसी और विदेशी दोनों तरह के शराब प्रतिबंधित कर दिए गए।

चलिए गांजा, अफीम और चरस के आंकड़े सामने रखते हैं। 2015 में एनसीबी ने 12.3 किलो गांजा, 1.9 किलो अफीम और 2 किलो चरस बरामद किया। शराबबंदी के पहले साल ये आंकड़ा बीसगुना उछल गया। अब आप तय कर लें कि शराब की कीमत पर अन्य मादक द्रव्यों की तस्करी और सेवन को रोकने में विफल रहने के लिए कौन जिम्मेदार है। जब 15 साल सुशासन बाबू के नाम पर कटे हों तो जीनवस्तर और पोषण के पैमानों पर उपलब्धि भी दिखाई देनी चाहिए थी। समाज सुधार सरकार की पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। फिर भी शराबबंदी के अभियान को समर्थन देना सामाजिक दायित्व है। पर बापू के नाम पर शराबबंदी कानून को जायज ठहराकर उस पर चर्चा रोकने की कोशिश करना गलत है। और संविधान के मौलिक अधिकारों को भी नीतीश कुमार भूल गए।

सूडोकु नवताल- 5351

*****

			2					4
			6					1
	5		8			2		3
		7					6	
	3					8		
1		6			3		7	
2					5			
8					4			

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5350 का हल

6	5	4	3	1	9	7	2	8
7	2	3	5	8	4	9	6	1
8	9	1	7	2	6	3	4	5
1	7	2	8	3	2	5	9	4
4	3	8	9	6	5	1	7	6
5	6	9	4	7	1	8	3	2
2	8	7	1	4	3	6	5	9
9	1	6	2	5	7	4	8	3
3	4	5	6	9	8	2	1	7

अपना ब्लॉग

कानून की अच्छाइयों और बुराइयों पर चर्चा

मोहन। संविधान का अनुच्छेद 21 निजी आजादी का भी तो अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 भारत के भू–भाग में कहीं भी मुक्त विचरण का अधिकार देता है। फिर किसी सूबे का मुख्यमंत्री कैसे रोक सकता है। यही नीतीश कुमार इन्हीं अनुच्छेदों का जिक्र कर राज ठाकरे पर हमला बोला करते थे। आज इनते सेलेक्टिव हो गए। आप तय कर लेंगे कौन बिहार में घुसेगा और कौन नहीं। बेशक बिहार ने कोई कानून बनाया है तो उसका पालन करना जरूरी है। पर कानून की अच्छाइयों और बुराइयों पर चर्चा करने के मौलिक अधिकार पर नीतीश कुमार लगाम नहीं लगा सकते।

अब जरा नेशनल फैमिल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पर नजर डालें। इसके मुताबिक शराब पीने के मामले में बिहार ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। बिहार के गांवों की 15.8 प्रतिशत और शहरों की 14 प्रतिशत आबादी शराब का सेवन कर रही है। वहीं महाराष्ट्र के गांवों में सिर्फ 13.9 प्रतिशत आबादी शराब पीती है जहां शराबबंदी नहीं है।